


2-2-24

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर न्यायालय में विचाराधीन राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते रास्ते हेतु को जरिये नोट प्रेस कर राजस्व आवेदन को खारीज करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने इस बाबत आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये।

प्रार्थीगण अधिवक्ता के निवेदन पर राजस्व आवेदन को इसी स्तर पर नोट प्रेस करने पर खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिवक्ता
धोरीमन्ना, बाड़मेर



विशेष
की को

Mishra